"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 40] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 1 अक्टूबर, 2004—आश्विन 9, शक 1926

भाग 3 (1)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 जुलाई 2004

क्रमांक वाचक/ट्रस्ट/अ.वि.अ./04.—चूंकि श्री शिक्षा दीप ट्रस्ट राजभवन, रायपुर ने एक्ट 1951 की धारा 4 के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन करने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

2. यदि किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरुचि हो और इस ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना के निकालने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन स्वतः या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के माध्यम से उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

उक्त आवेदन-पत्र की सुनवाई दिनांक 28-8-2004 को होगी.

अनुसूची

पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता व संपत्ति का विवरण

1.	लोक न्यास का नाम	:	शिक्षा दीप ट्रस्ट राजभवन, रायपुर
2.	चल संपत्ति	:	भारतीय स्टेट बैंक, रायपुर खाता नं. 01100061227 जमा राशि रुपये 2200-00.

के. के. बक्शी,
पंजीयक.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, धमतरी, जिला धमतरी (छ. ग.)

धमतरी, दिनांक 22 मार्च 2004

क्रमांक 409/अ. वि. अ./बा-1/2004.—आवेदक श्री मोहन लाल यदु वल्द टीकमसिंह निवासी ग्राम-रावनगुड़ा तहसील व जिला धमतरी के द्वारा श्री राधा कृष्ण मंदिर ग्राम-रावनगुडा तहसील-धमतरी का म. प्र. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 की धारा 4 के अंतर्गत निम्न अनुसूची में दर्शाई गई संपत्ति को लोक न्यास के रूप में पंजीयन किये जाने, आवेदन प्रस्तुत किया है.

अत: सर्वसाधारण हितार्थी को सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र की सुनवाई दिनांक 7-5-2004 को न्यायालय अवधि में रखी जावेगी. संबंधित पक्षकार जो उक्त ट्रस्ट का हितार्थी हो और उसे ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वह इस अधिसूचना के निकलने के एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी दिनांक को स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के द्वारा मेरे समक्ष उपस्थित होवें. निर्धारित समय समाप्त होने पर प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

ग्राम-रावनगुड़ा, तहसील-धमतरी में स्थित भूमि ख. नं. 171 रकबा 2.59 आर. ए.

ओंकार यदु,
अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास बिलासपुर, जिला बिलासपुर (छ. ग.)

प्रारूप-पांच
[नियम 5 (1) देखिये]

अंतर्गत म. प्र. लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 5 (2) तथा लोक न्यास नियम 1962 का नियम 5 (1)

बिलासपुर, दिनांक 22 मार्च 2004

क्रमांक क/री-1/2004 (366).—अत: मैं माडर्न इंडिया ट्रस्ट लोक न्यास बिलासपुर पता मकान नंबर 575, वार्ड नंबर 11, अंबेडकर म्युनिसिपल स्कूल के सामने मगरपारा बिलासपुर (छ. ग.) का पंजीयन अपने न्यायालय में दिनांक 6-2-2004 उक्त जांच करना प्रस्तावित करता हूं.

अत: द्वारा सूचना दी जाती है कि न्यास की संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन मेरे समक्ष प्रस्तुत करना होगा और मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभापक अथवा अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के बाद प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जायेगा.

आज दिनांक 22-3-2004 मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

अनुसूची

मॉडर्न इंडिया ट्रस्ट बिलासपुर

अचल संपत्ति	:	निल.
चल संपत्ति	:	रुपये 1001/- रुपये मात्र

ए. के. तिवारी,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2004.